फर्द अहकाम

किशन बनाम कन्हैयालाल

न्यायालय

संख्या 37/20 दावा

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	2/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार जालसू से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्ष कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात हेतु दिनांक 3/4/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	3/4/25	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप., पत्रावली तालिका आदेश .... अनुसार आगामी पेशी दिनांक 8/4/25 .... को पेश हो।	
	8/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। वाद का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 37/2020

वाद प्रस्तुति दिनांक : 07.07.2020

किशना पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम चंदपुराजाटान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

...........वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र भैरू
2. गुलाब चन्द पुत्र भैरू
3. बाबूलाल पुत्र भैरू
4. लालचन्द पुत्र भैरू
5. सुजा पुत्र गंगाराम
6. सीताराम पुत्र भैरू
7. हनुमान सहाय पुत्र भैरू
8. हरिनारायण पुत्र गंगाराम
9. नारायणी देवी पत्नी भैरूराम
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम चंदपुराजाटान तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कालावाड तहसील व जिला जयपुर।
13. शाखा प्रबंधक मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैसावा जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 08.04.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम चंदपुराजाटान, पटवार क्षेत्र बिचपडी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र राधाकिशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 175 रकबा 1.49 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176 रकबा 1.49 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.98 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमें वादी का वादी का 1/4 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 175/253 रकबा 1.60 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/254 रकबा 1.05 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.65 हैक्टेयर ... का हिस्सा 1/4 निहित है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:38 IST
Reason: Self Attested

विवादित आराजी ... प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो उक्त प्रतिवादीगण मौके पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहें

प्रकरण संख्या – 37/2020
बउनवानी – किशना बनाम कन्हैयालाल वगै0
निर्णय दिनांक :–08.04.2025

परन्तु अब चूंकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और दिनांक 01.03.2020 को उक्त प्रतिवादीगण ने मौके पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिक विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया और वादी को एलानियां धमकी दी कि हम बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादी को बाहुबल के आधार पर वाद अधीन कृषि भूमि से बेदखल करेगें, भूमि को बैचान–हस्तान्तरण एवं खुर्द–बुर्द कर देगें। जबकि उक्त प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकारी हासिल नहीं है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता ने प्राथमिक डिकी किये जाने के निवेदन अनुसार वाद प्राथमिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार जालसू को कुर्रेजात हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/संस्था/25/310 दिनांक 07.02.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है। वादी अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात, तर्को, एवं कुर्रेजात के आधार पर वाद डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :

1. कन्हैयालाल पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड गुलाबचंद पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड बाबूलाल पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड लालचंद पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड सीताराम पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड हनुमानसहाय पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड समस्त जातियान हरियाणा ब्राहम्ण सा.देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 175/253/3 रकबा 0.1975 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/2 रकबा 0.7600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/254/2 रकबा 0.4500 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. किशना पुत्र गंगाराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण राहिन एसबीबीजे शाखा राधाकिशनपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 175/1 रकबा 0.800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 175/253/1 रकबा 0.6075 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. सुजा पुत्र गंगाराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 175/2 रकबा 0.6900 खसरा नम्बर 176/1 रकबा 0.0550 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. [illegible]नारायण पुत्र गंगाराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण राहिन एसबीआई शाखा कालवाड सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 175/253/4 रकबा 0.2125 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/3 रकबा 0.6750 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/254/[illegible] रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. नारायण देवी पत्नि भैरूराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड सा. देह खातेदार के हिस्सें में खसरा नम्बर 175/253/2 रकबा 0.5825 खसरा नम्बर 176/254/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6625 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या 37/2020 वाद प्रस्तुति दिनांक : 07.07.2020

किशना पुत्र गंगाराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम चंदपुराजाटान, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र भैरू
2. गुलाब चन्द पुत्र भैरू
3. बाबूलाल पुत्र भैरू
4. लालचन्द पुत्र भैरू
5. सुजा पुत्र गंगाराम
6. सीताराम पुत्र भैरू
7. हनुमान सहाय पुत्र भैरू
8. हरिनारायण पुत्र गंगाराम
9. नारायणी देवी पत्नी भैरूराम
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम चंदपुराजाटान तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसीलं आमेर जिला जयपुर।
11. उप पंजीयक महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कालावाड तहसील व जिला जयपुर।
13. शाखा प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा राधाकिशनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैसावा जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. कन्हैयालाल पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड गुलाबचंद पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड बाबूलाल पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड लालचंद पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड सीताराम पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड हनुमानसहाय पुत्र भैरू हि0 1/6 राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड समस्त जातियान हरियाणा ब्राहम्ण खातेदार खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 175/253/3 रकबा 0.1975 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/2 रकबा 0.7600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/254/2 रकबा 0.4500 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:38 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

2. किशना पुत्र गंगाराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण राहिन एसबीबीजे शाखा राधाकिशनपुरा के हिस्से में खसरा नम्बर 175/1 रकबा 0.800 हैक्टेयर खसरा नम्बर 175/253/1 रकबा 0.6075 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.4075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

3. सुजा पुत्र गंगाराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 175/2 रकबा 0.6900 खसरा नम्बर 176/1 रकबा 0.0550 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7450 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. हरिनारायण पुत्र गंगाराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण राहिन एसबीआई शाखा कालवाड सा. देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 175/253/4 रकबा 0.2125 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/3 रकबा 0.6750 हैक्टेयर खसरा नम्बर 176/254/3 रकबा 0.5200 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.4075 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. नारायण देवी पत्नि भैरूराम हि0 सम्पूर्ण जाति हरियाणा ब्राहम्ण राहिन एसबीबीजे शाखा कालवाड सा. देह खातेदार के हिस्सें में खसरा नम्बर 175/253/2 रकबा 0.5825 खसरा नम्बर 176/254/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6625 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.04.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

(मुहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर)

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	4 रूपये	
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:41:38 IST
Reason: SelfAttested